



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-01112024-258409
CG-DL-E-01112024-258409

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4402]

नई दिल्ली, शुक्रवार, नवम्बर 1, 2024/कार्तिक 10, 1946

No. 4402]

NEW DELHI, FRIDAY, NOVEMBER 1, 2024/KARTIKA 10, 1946

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 अक्टूबर, 2024

का.आ. 4780(अ).—जबकि, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत, समय-समय पर, जारी राष्ट्रपति आदेशों में उल्लिखित धर्मों के अलावा अन्य धर्म में धर्मान्तरित तथा ऐतिहासिक रूप से अनुसूचित जातियों से संबंध होने का दावा करने वाले नए व्यक्तियों को अनुसूचित जाति का दर्जा प्रदान करने के मामले और तत्संबंधी मुद्दों की जांच के लिए जांच आयोग (इसके बाद में उक्त आयोग कहा जाएगा) का गठन 6 अक्टूबर, 2022 को अधिसूचना संख्या का. आ. 4742(अ) द्वारा किया गया था;

और जबकि, उक्त आयोग को 10 अक्टूबर, 2024 को या उससे पहले अपनी रिपोर्ट और सिफारिशें प्रस्तुत करनी थी;

और जबकि, उक्त आयोग ने अपनी रिपोर्टों और सिफारिशों को अंतिम रूप देने के लिए आयोग के कार्यकाल का नवीनीकरण करने का अनुरोध किया था;

इसलिए, अब, जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 11 अक्टूबर 2024 से 10 अक्टूबर, 2025 तक एक वर्ष की अवधि के लिए आयोग का कार्यकाल बढ़ाती है।

2. आयोग 10 अक्टूबर, 2025 तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

[फा. सं. आरएल-12016/9/2021-आरएल सैल]

अमित कुमार घोष, अपर सचिव

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT**(Department of Social Justice And Empowerment)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 30th October, 2024

S.O. 4780(E).—Whereas, the Commission of Inquiry (hereinafter called the said Commission) was constituted on 6th October, 2022 *vide* notification number S.O. 4742(E) under section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), to examine the matter of according Scheduled Castes status to new persons, who claim to historically have belonged to Scheduled Castes but have converted to religion other than those mentioned in the Presidential Orders issued from time to time under article 341 of the Constitution, and matters related thereto;

And whereas, the said Commission was required to submit its report and recommendations on or before the 10th October, 2024;

And whereas, the said Commission had requested to renew the tenure of the Commission for finalizing its reports and recommendations;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby extend the tenure of the Commission, for a period of one year with effect from 11th October, 2024 to 10th October, 2025.

2. The Commission shall submit its Report by 10th October, 2025.

[F. No. RL-12016/9/2021-RL Cell]

AMIT KUMAR GHOSH, Addl. Secy.